न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—436/18 (2018/00316)

1. श्रीनारायण मीना पुत्र श्री गोपीराम मीना, निवासी ग्राम चावण्डिया, तहसील, जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर एवं ज़िला मजिस्ट्रेट, जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 30.01.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर के आदेश दिनांक 04.06.2008 से असंतुष्ट होकर आर्म्स एक्ट की धारा 18 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट के हक में राज्य सरकार द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या राज/जयपुर/तह/जमवारामगढ/68/80 जारी किया हुआ है जो टोपीदार बन्दूक का है तथा अपीलान्ट का भाई छीतरमल पुत्र श्री गोपीराम ने अपीलान्ट के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के समक्ष सर्वथा झूँठी शिकायत प्रस्तुत की, उक्त झूँठी शिकायत के आधार पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर के समक्ष पत्रांक 953 दिनांक 23.04.2007 प्रस्तुत कर अपीलान्ट के उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने की सिफारिश कर दी जिसके आधार पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ने अपीलान्ट को नोटिस क्रमांक न्याय/02/1101 दिनांक 06.06.2007 जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 27.09.2007 को जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर के समक्ष अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट ने अपने स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट अंकित किया कि अपीलान्ट व उसके भाईयों के मध्य पूर्वजों की जमीन को लेकर तकासमा का वाद संख्या 200/2006 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ में विचाराधीन अवश्य है परन्तु परिवार मे इस प्रकार की कोई रंजिश नही है जिसके आधार पर जनहानि होने की आशंका हो, अपीलान्ट के भाई छीतरमल ने सर्वथा झूँठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलान्ट नें कभी भी उक्त शस्त्र का दुरूपयोग नही किया। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट इज्जतदार काश्तकार व्यक्ति है, अपीलान्ट के विरूद्ध कोई फौजदारी मुकदमा विचाराधीन नही है, अपीलान्ट सजायाफ्ता नही है, अपीलान्ट ने अपने चरित्र के सम्बन्ध मे सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र सरस्वती बाल मन्दिर संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र वन सुरक्षा समिति ग्राम पंचायत चावण्डिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं साक्षियों के बयान की प्रतिलिपि, राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ जमवारामगढ द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं न्यायालय उपखण्ड

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिकारी जमवारामगढ में विचाराधीन तकासमा के वाद की प्रतिलिपि जमाबन्दी इत्यादि प्रलेखीय साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वर्णित प्रलेखीय साक्ष्यों को नजर अन्दाज करते हुऐ अपीलान्ट के स्पष्टीकरण को सन्तोषप्रद नही मानते हुऐ अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2008 पारित फरमा दिया जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलार्धी आदेश विधि, विधान न्याय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में तथ्यात्मक एवं कानूनी गंभीर त्रुटि कारित की है इस आधार पर अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं प्रलेखीय साक्ष्यों न्यायिक विवेक से विवेचन, विश्लेषण किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित फरमा दिया जो गैर कानूनी एवं विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश "स्पीकिन्ग ऑर्डर" की तारीफ में नही होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्यायालय विधिवत रूप से प्रकरण दर्ज करके विधिवत रूप से सम्मन/नोटिस जारी कर पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्यों को कन्सीडर करते हुए उन पर न्यायिक विवेक से विवेचन, विश्लेषण करने के उपरान्त स्पष्ट फाईन्डिंग के साथ प्रकरण का निस्तारण करना चाहिये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत् रूप से प्रकरण दर्ज नही किया, विधिवत रूप से सुनवाई नही की, विधिवत रूप से तथ्यों एवं प्रलेखीय साक्ष्यों को कन्सीडर नही किया, विधिवत रूप से तथ्यों एवं प्रलेखीय सक्ष्यों का विवेचन विश्लेषण नही किया, स्पष्ट फाईनडिंग नही दी और एक ही शब्द में अपीलान्ट का जवाब को सन्तोषप्रद नही मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो कतई सुस्थापित विधि के विपरित होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट व उसके भाईयों के मध्य लम्बित तकासमा के वाद का निस्तारण हो चुका है अब कोई तकासमा का वाद अथवा अन्य किसी प्रकार का कोई प्रकरण भाईयों के मध्य विचाराधीन नही है इस आधार पर भी अपीलार्थी आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट 85 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है जिसक द्वारा उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का दुरूपयोग करने का कोई मामला ही नही बनता है इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपील के साथ प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम पृथक से प्रस्तुत किया गया है जिसके

P.T.O.

आधार पर अपील प्रस्तुतिकरण में हुआ विलम्ब माफ/कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2008 को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें और अपीलान्ट को उक्त अनुज्ञा पत्र अधीन शस्त्र लौटाये जाने हेत पुलिस थाना जमवारामगढ को तहरीर जारी की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट व उसके भाईयों में विचाराधीन वाद एवं पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण जयपुर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि अपीलान्ट का मुख्य कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के प्रस्तुत प्रमाण पत्रादि एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ में विचाराधीन तकासमा के वाद की प्रतिलिपि, जमाबन्दी इत्यादि प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये थे जिन्हे कण्सीडर नही किया गया है। उक्त प्रकरण काफी पुराने भी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2008 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पुलिस अधीक्षक जयपुर से पुनः रिपोर्ट लेकर एवं उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर अवसर देते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।